कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(301/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

शासन सचिव
वन विभाग
जयपुर।

विषयः—Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of Forest land for diversion of 700.347 ha.of forest land in favour of Executive Engineer, WR Division, Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under Eastern Rajasthan. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

(प्रस्ताव सं. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन अलीगंज, जोर बाग रोड़ नई दिल्ली के पत्रांक File No.8—28/2020 दिनांक 03.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र से जारी ऑनलाईन ई0डी0एस0 के क्रम में बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 1733 दिनांक 09.04.2021 से प्राप्त कर इस कार्यालय की सहमति के साथ प्रेषित है, जो निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	**EDS**	**जवाब**
1	The extent of forest area as per submitted .kml/shape files is 648.93 ha whereas the proposal is for diversion of 700.347 ha. Therefore, complete .kml/shape file of the proposaed diversion i.e. for 700.347 ha is to be uploaded on the Parivesh Portal.	**मुख्य वन संरक्षक कोटा** ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनभूमि 700.347 हैक्टर की KML File प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सुधार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। KML फाईल की Soft Copy सी.डी. में संलग्न प्रेषित है। **संलग्न–Annexure-I**
2	The proposed forest land for diversion falls under the Inviolate category as per the Decision Support System (DSS) Rule-I due to the existence of the Rare forest	**मुख्य वन संरक्षक कोटा** ने अपने पत्रांक से अवगत कराया है कि वन विभाग एवं यूजर ऐजेन्सी द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के कार्यालय में प्रस्तावित वनक्षेत्र की KML/Shape File का परीक्षण DSS System से करवाया गया। इस संबंध में भारतीय

	type which implies that part of proposed diversion includes portion of one of the last remnants of forest types which is having total extent <50 Sq. Km in the country. The State Govt. in consultation with the Forest Survey of India, Dehradun may explore the possibility to exclude portion of last remnant forest type from the present proposal.	वन सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रस्तावित वन क्षेत्र में Rare Forest Types नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून द्वारा रिपोर्ट दिनांक 01.04.2021 प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रस्तावित वनक्षेत्र में Rare Forest Types नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2016 में राज्यवार वन प्रकार की पुनः मेपिंग प्रारम्भ की गयी थी तथा राज्यवार परिणाम ISFR 2019 VOL-II में प्रकाशित किये गये थे उक्त प्रकरण (6B/DS-1 Zizyphus scrub) में दुर्लभ वन किस्मों का क्षेत्र राजस्थान के कुल वन कवर का 0.94 प्रतिशत है, जो कि 156.32 वर्ग कि.मी. आता है। चूंकि वर्तमान गणना के अनुसार (6B/DS-1 Zizyphus scrub) का क्षेत्र 50 वर्ग कि.मी. (156.32 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र से अधिक है, इसलिए वर्तमान प्रकरण में (6B/DS-1 Zizyphus scrub) अब दुर्लभ वन के प्रकार में नहीं आता है। (रिपोर्ट संलग्न) **Annexure-II**
3	Out of proposed compensatory afforestation patches, 103 ha area of villages namely Nachana Khera & Bhilot falls in the Protected Forest (PF) as per the Google earth imagery some protion of the CA patches proposed under the villages namely Bara (Patch-I), Bara (Patch-II) and Guraytha (Patch-V) are falling within the river. Accordingly, the CA patches need revisit and revised CA patches commensurate to proposed diversion with site suitability certificate and complete shape file shall be submitted. CA scheme would also need revision as per revised CA patches.	**मुख्य वन संरक्षक कोटा** ने अपने पत्रांक से अवगत कराया है कोटा जिले के लिये प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रदान की गयी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि को मौके स्थल पर विधिवत निरीक्षण के उपरान्त वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही की गयी है। ग्राम भिलोत में आवंटित राजस्व भूमि सर्वेयर कार्यालय हाजा की रिपोर्ट एवं वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वनभूमि नहीं है एवं ग्राम गुरायता व बारां में आवंटित राजस्व भूमि नदी के डूब क्षेत्र से बाहर है। संशोधित Shape फाइल को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि में से ग्राम गोपालपुरा, सिंहपुरा एवं भिलोत की राजस्व भूमि 222.328 है0 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना संभव है। शेष 358.61 है0 आवंटित राजस्व भूमि पर नवीन वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान में उक्त आवंटित राजस्व भूमि पर सघन विलायती बबूल (प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा)होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आवश्यकता नही है। अतः शेष 358.61 है0 का वृक्षारोपण कार्य रेंज मोड़क के ब्लॉक–बुद्धखान, गादिया–ए, महुआखाल–ए व महुआखाल–बी और रेंज मण्डाना के ब्लॉक–शंकरपुरा डडवाड़ा–V, शंकरपुरा डडवाड़ा–iv, बड़ौदिया–II पर वैकल्पिक वृक्षारोपण (under classes Govt. of India ministry of Environment forest and climates change of ref no. F.No. 11-423/211-FC Date 20.04.2019) के संदर्भ में किया जावेगा। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। उप वन संरक्षक बारां ने अपने पत्रांक से अवगत कराया है

		प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रेषित की गयी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि ग्राम इकलेरा सागर का खसरा नम्बर 257 रकबा 93.08 है0 है, जो कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार वनभूमि नही है। (नोटिफिकेशन संलग्न) एवं ग्राम नचनाखेडा के खसरा नम्बर 196, 197, 198, 200, 201, 209, 210 एवं 211 का कुल रकबा 26.329 है0 जो इस कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार वनभूमि नही है। (नोटिफिकेशन संलग्न) उक्त आवंटित भूमि का विधिवत निरीक्षण उपरान्त वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही की गयी है। (दखलनामा संलग्न) एवं उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है। **संलग्न–Annexure-III**
4	The proposal is without approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan.	जलागम क्षेत्र उपचार योजना(Catchment Area Treatment Plan) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के ओदश कमांक एफ 14(301/18)2018/ एफसीए /प्रमुवंस/1394 दिनांक 31.05.2021 द्वारा अनुमोदित कर प्रति संलग्न है। **संलग्न–Annexure-IV**
5	Approved DPR of the project need submission.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अनुमोदित DPR संलग्न कर दी गई है। **संलग्न–Annexure-V**
6	The user agency at the Part-1(M) (II) has mentioned that the command area is zero which need clarification.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रदान की गयी टिप्पणी संलग्न है। **संलग्न– Annexure-VI**

संलग्नः– उक्तानुसार दो सैट।

भवदीय,

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(301/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 1401–02 दिनांक 2.6.21
प्रतिलिपिः– 1. मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
2. प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर